रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 —उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 1970/आषाढ़ 16, 1892

No. 244] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 1970/ASADHA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July 1970

S.O. 2369.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 5 of the Khadi and Other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953 (12 of 1953), the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 1479, dated the 25th July, 1953, namely :—

In the said notification, for the proviso the following shall be substituted, namely :—

"Provided that nothing contained in these rules shall apply to the following descriptions of cotton fabrics manufactured in a composite mill, namely :—

(i) Medium-A, if unprocessed; and

(ii) Medium-B and Coarse, if unprocessed; or if bleached, or dyed, or if bleached and dyed but not printed; or which answer the description of "Dhoti", "Saree", "Long Cloth", "Shirting" or "Drill" as defined from time to time by the Textile Commissioner under the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, and for which maximum ex-factory prices have been specified by the Textile Commissioner under the said Order.

Explanation.—For the purposes of these rules, "composite mill" means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton twist, yarn or thread or weaving or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities."

[No. F. 4/63/69/-TEX(C).]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई 1970

का० आ० 2369.—खादी और अन्य हाथ करघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1953 (1953 का 12) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 1479, तारीख 25 जुलाई, 1953 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई बात संयुक्त मिल में विनिर्मित निम्नलिखित प्रकार के सूती फैब्रिकों पर लागू नहीं होगी, अर्थात् :—

(i) मध्यम—क, यदि अप्रसंस्कृत हो ; और

(ii) मध्यम—ख और मोटा, यदि अप्रसंस्कृत हो; या यदि विरंजित या रंजित, या यदि और रंजित हो, किन्तु छपा हुआ न हो ; या जो सूती टैक्सटाइल (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अधीन टैक्सटाइल आयुक्त द्वारा समय समय पर यथा परिभाषित, "धोती", "साड़ी", "लट्ठा", "कमीज का कपड़ा" या "जीन" हों और जिनके लिये टैक्सटाइल आयुक्त द्वारा उक्त आदेश के अधीन कारखाने पर की अधिकतम कीमतें विनिर्दिष्ट कर दी गई हों ।

स्पष्टीकरण :—इन नियमों के प्रयोजन के लिये "संयुक्त मिल" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो शक्ति की सहायता से सूती अटे हुए धागे, सूत या डोरे को कातने या सूती फैब्रिक बुनने या सूती फैब्रिकों को प्रसंस्कृत करने में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसे दो विनिर्माण क्रियाकलापों में स्वत्वधारी हित है ।"

[सं० फा० 4/63/69—टी० ई० एक्स० (सी०).]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970